ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

1 प्रस्तावना (क) :-

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2017 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग **द्वारा** किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान :-

1	श्रीमति जगतम्बा देवी	1-4-2014 से 22-1-2016
2	श्री जयकर्ण	23-1-2016 से लगातार

सचिव :-

1	श्री दिनेश कुमार	1-4-2014 से 3-10-2016
2	श्री हरनाम सिंह	4-10-2016 से 31-3-2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह के लेखाओं अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है।

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	**9**	अनुदान का उपयोग न करना	7.46
2	**10**	प्राप्त अनुदानों की राशि से अधिक व्यय	**0.40**
3	**12**	मूल्याँकन (Assessment) के बिना भुगतान करना	**6.52**
4	**13**	**IWMP लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले अंशदान के वसूली शेष**	**0.66**
5	**15**	**सोलर लाइट की खरीद में अनियमितताएं**	**2.80**
6	**16**	**पंचायत निधि से अनियमित व्यय**	**0.02**

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14

से 31.3.17 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री जितेन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी व श्री जीवन कुमार कनिष्ठ लेखा परीक्षक **द्वारा** दिनांक 18-10-2017 से 24-10-2017 तक ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2014-15	**3/2015**	**10/2014**
2015-16	**2/2016**	**3/2016**
2016-17	**2/2017**	**2/2017**

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला काँगड़ा के अवधि 1.4.14 से 31.3.17 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹6200 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग (हि०प्र०) शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 262 /2017 दिनांक 24 -10-2017 **द्वारा** अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह **द्वारा** प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(1) **स्व स्त्रौत :-**ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की स्व स्त्रौतों की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	**170256.30**	**41165.00**	**211421.30**	**28692**	**182729.30**
2015-16	**182729.30**	**37063.00**	**219792.30**	**60007**	**159785.30**
2016-17	**159785.30**	**62207.00**	**221992.30**	**20891**	**201101.30**

(2) अनुदान :-ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह के अवधि 01.04.14 से 31.03.17 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2014-15	**481563.00**	**1222600.00**	**1704163**	**1325693**	**378470**
2015-16	**378470.00**	**1968185.00**	**2346655**	**1499589**	**847066**
2016-17	**847066.00**	**2057160.00**	**2904226**	**2158547**	**745679**

5 **रोकड़ वही तथा बैंक खातों के दिनांक 31.3.17 के अन्तशेष में ₹0.40 लाख का भारी अन्तर:-**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह **द्वारा** हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना मे मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं की जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2017 को निम्नानुसार रोकड़ वही तथा बैंक खातों में ₹39863.55 का अंतर था। अत: पंचायत की रोकड़ वहियों का बैंक खातों से मिलान कर के अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें।

1	रोकड़ वही खाता क पैरा 4(1)का अन्तशेष	₹201101.30
2	रोकड़ वही खाता ख पैरा 4(2) का अन्तशेष	₹ 745679.00
	योग	**₹946780.30**

दिनांक 31-03-2017 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण निम्नानुसार था।

क्र. सं	**बैंक का नाम**	**खाता संख्या**	**राशि**
1	H.G.B.RAKKAR	87990100041009	4301
2	H.G.B.RAKKAR	8799100040994	67128
3	K.C.C.B.RAKKAR	20044009605	904103.85
	TOTAL		**₹975532.85**
		FOOD COUPEN	**10055**
		General Cash Book	958
		IWMP	98
	Grand Total		**₹986643.85**

अन्तर = 986643.85 – 946780.30 = 39863.55

6 **वितीय स्थिति के अंत शेष में दर्शाई गयी Food coupen के रूप में ₹10055 के बारे ;-**

ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह द्वारा ₹10055 के FOODCOUPEN जो कि मजदूरों को काम के बदले अनाज के रूप में मजदूरी अदा की जानी थी के लिए प्राप्त किये गये तथा इन कूपनों को रोकड़ बही में आय पक्ष में दर्ज किया गया तथा इसकी रसीद जारी की गयी मास 4/2014 को ग्राम पंचायत द्वारा इसे रोकड़ बही के आरम्भिक शेष में दर्शाया गया है अब जबकि यह योजना सरकार द्वारा काफी समय पूर्व बंद कर दी गयी है और न ही ग्राम पंचायत को इन कूपनों के बदले में अनाज मिलने की कोई सम्भावना है तो इन कूपनों को रखने का कोई भी औचित्य नहीं है। अत: इन कूपनों को सरकार को वापिस किया जाए।

7 **निर्धारित बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव **द्वारा** फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं

किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत **द्वारा** किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

8 पंचायत राजस्व ₹0.03 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत सचिव गुडारा चप्लाह **द्वारा** उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2017 तक पंचायत राजस्व गृहकर ₹3030 वसूली हेतु शेष थी।

1 गृहकर :

वर्ष	अथशेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2014-15	0	8880	8880	7350	**1530**
2015-16	1530	9450	10980	10500	**480**
2016-17	480	16750	17230	14200	**3030**

(2) .हिमाचल प्रदेश पंचायती राज [वित बजट लेखे संकर्म कराधान व भते] नियम 2002 के नियम 33 और 77 के अनुसार फॉर्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत के गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया। अत: गृहकर का मांग और संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार अभिलेख तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 अनुदान ₹7.46 लाख का उपयोग न करना ;-

पंचायत **द्वारा** अनुदानों से संबन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **(परिशिष्ट-1)** के अनुसार दिनांक 31.03.17 तक अनुदान **₹**745679 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत **द्वारा** विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ- साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ोतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाये।

10 प्राप्त अनुदानों की राशि से ₹0.40 लाख का अधिक व्यय

सचिव ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह **द्वारा** उपलब्ध करवाए गये आंकड़ो **(परिशिष्ट–II)** तथा वितीय स्थिति के अनुसार PS, SFC, VKVNY, MPLAD में दिनांक 31-03-2017 को **₹**40275 ऋणात्मक दर्शाई गयी है जो कि किसी अन्य योजना के व्यय का लेखांकन PS, SFC, VKVNY, MPLAD में अथवा किसी अन्य योजना से PS,SFC,VKVNY,MPLAD का भुगतान करने के फलस्वरूप है। इस चूक का नियमानुसार निराकरण सुनिशचित करते हुए अनुपालना से अवगत करवाएं।

PS (-) 13652
SFC (-) 10672
VKVNY (-) 12122

MPLAD (-) 3829

योग (-)40275

11 **सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये गये अनुदान के आदेश की प्रति/पत्र जाँच हेतु उपलब्ध न करवाना :-**

ग्राम पंचायत **द्वारा** अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किये गये अनुदानों के पत्रों की प्रति अंकेक्षण में जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाई गयी जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं हो सका कि पंचायत **द्वारा** प्राप्त किये गये अनुदान किस उदेश्य/कार्य विशेष के लिए प्राप्त किये गये हैं। चर्चा में बताया गया कि पंचायत में अनुदान के आदेश पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय **द्वारा** राशि प्राप्त होने के उपरान्त मौखिक रूप में अनुदान के प्रायोजन बारे सूचित किया जाता है जो कि अनुचित है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रायोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण को विशेष रूप से उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है।

12 **मूल्यॉंकन (Assessment) के बिना ₹6.52 लाख का भुगतान :-**

प्रधान सचिव (ग्रा० वि० एवं पं० रा०) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या :एस एम् एस -17 /2002-आर डी डी (जी आर एस) दिनांक 22-9-2009 के **द्वारा** जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की मूल्यॉंकन (Assessment) के पश्चात ही पंचायत **द्वारा** भुगतान किया जाएगा । परन्तु जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत **द्वारा ₹651762** का भुगतान मूल्यॉंकन (Assessment) के बिना किया गया। अत: इस अनियमितता बारे उचित स्पष्टिकरण प्रस्तुत करते हुए मूल्यॉंकन (Assessment) के बिना भुगतान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए ।

बा. सं.	**मास**	**कार्य का नाम**	**राशि**
MGNREGA			
32	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	15552
33	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	5832
34	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	2387
35	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	19764
36	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	9234
37	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	3888
38	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	2604
39	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	6318
40	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	3726
41	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	1296
42	3/2016	निर्माण कार्य क्रेट वर्क वार्ड 4	868
43	3/2016	निर्माण वचाव दिवार नजदीक सराए गदिआरे	7290
44	3/2016	निर्माण वचाव दिवार नजदीक सराए गदिआरे	2430
45	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	11178

46	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	5508
47	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	1953
48	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	17496
49	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	19926
50	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	2821
51	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	14742
52	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	12150
53	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	1620
54	3/2016	निर्माण रास्ता मेन रोड से वासुदेव के घर तक	868
55	3/2016	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	6804
56	3/2016	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	2916
57	3/2016	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	12150
58	3/2016	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	3078
59	3/2016	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	2387
60	3/2016	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	12960
61	3/2016	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	2592
62	3/2016	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	1953
63	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	5994
64	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	6318
65	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	5508
66	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	9072
67	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर	3240

		नाला	
68	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	2604
69	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	3888
70	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	5346
71	3/2016	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	1302
67	2/2017	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	6970
68	2/2017	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	6970
69	2/2017	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	2040
70	2/2017	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	1085
71	2/2017	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	17700
72	2/2017	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	2632
73	2/2017	निर्माण दीवार व् रास्ता मिलाप चन्द के घर से तिलक राज के घर तक	15810
74	2/2017	निर्माण दीवार व् रास्ता मिलाप चन्द के घर से तिलक राज के घर तक	11390
75	2/2017	निर्माण दीवार व् रास्ता मिलाप चन्द के घर से तिलक राज के घर तक	2387
76	2/2017	निर्माण दीवार व् रास्ता मिलाप चन्द के घर से तिलक राज के घर तक	25700
77	2/2017	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	10540
78	2/2017	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	2387
79	2/2017	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	4590
80	2/2017	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	13800
81	2/2017	निर्माण चेक डेम उलानी पट्टे ठठर नाला	2632

82	2/2017	निर्माण दीवार व् रास्ता राजेश कुमार के घर से मेन सड़क तक	11050
83	2/2017	निर्माण दीवार व् रास्ता राजेश कुमार के घर से मेन सड़क तक	2387
84	2/2017	निर्माण दीवार व् रास्ता राजेश कुमार के घर से मेन सड़क तक	2632
85	2/2017	निर्माण वचाव दिवार नजदीक सराए गदिआरे	18300
86	2/2017	निर्माण वचाव दिवार नजदीक सराए गदिआरे	2632
87	2/2017	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	15600
88	2/2017	निर्माण लिंक रोड हंसराज दुकान से वासुदेव के घर तक	1260
89	2/2017	निर्माण लिंक रोड़ वाल कृष्ण के घर से कुआली वाया देडू बस्ती	9860
90	2/2017	निर्माण लिंक रोड़ वाल कृष्ण के घर से कुआली वाया देडू बस्ती	1700
93	2/2017	निर्माण दीवार व् रास्ता मिलाप चन्द के घर से तिलक राज के घर तक	15000
94	2/2017	निर्माण लिंक रोड़ वाल कृष्ण के घर से कुआली वाया देडू बस्ती	12240
95	2/2017	निर्माण लिंक रोड़ वाल कृष्ण के घर से कुआली वाया देडू बस्ती	13260
96	2/2017	निर्माण लिंक रोड़ वाल कृष्ण के घर से कुआली वाया देडू बस्ती	1953
GENERAL CASH BOOK			
41	10/2014	निर्माण पंचायत घर	36600
44	10/2014	निर्माण पंचायत घर	37140
45	10/2014	मुरम्मत रास्ता मिलाप चन्द के घर से नाई बस्ती तक	4200
46	10/2014	मुरम्मत रास्ता नजदीक ओम प्रकाश, कमला देवी का घर वार्ड 3	4200
49	10/2014	मुरम्मत रास्ता कुकाहर	4500
50	10/2014	निर्माण पंचायत घर	22000
55	10/2014	मुरम्मत नालियां व् रास्ता निचला चप्लाह	15300
51	2/2017	मुरम्मत नालियां व् रास्ता निचला चप्लाह	32652
NIL	2/2017	वचाव दीवार नजदीक प्रकाश चन्द घर	3100
		योग	**651762**

13 **IWMP लाभार्थिओं से प्राप्त होने वाले भाग ₹0.66 लाख की वसूली शेष:-**

परियोजना निदेशक जिला जलागम विकास अभिकरण काँगड़ा स्थित धर्मशाला के पत्र क्रमांक 336-393 दिनांक 4/7/2012 के अनुसार “वाटरशेड परियोजना के लिए गांवों का चयन हेतु अनिवार्य शर्त वाटरशेड विकास निधि में लोगों द्वारा अंशदान किया जाना है। वाटरशेड विकास निधि में अंशदान केवल निजी भूमि पर निष्पादित एन आर एम कार्यों की लागत का न्यूनतम 10 प्रतिशत होगा तथापि अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति , छोटे और सीमान्त किसानों के मामले में न्यूनतम अंशदान 5 प्रतिशत की गयी । इसके अतिरिक्त निजी भूमि पर अन्य लागत सघन कृषि प्रणाली कार्यकलापों जैसे मत्स्य पालन ,बागबानी ,कृषि ,वानिकी , पशु पालन इत्यादि जैसे आजीविका सम्बन्धित किसानों को सीधे फायदा होता तो उनके लिए सामान्य वर्ग के किसानों का अंशदान 20 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थिओं का अंशदान 10 प्रतिशत होगा। जाँच में पाया गया कि निम्न मामलों में निजी भूमि पर निष्पादित करवाए गये वाटरशेड कार्यों के लिए जो कि पूर्ण हो चुके हैं लाभार्थिओं से अंशदान **₹66440** नहीं लिया गया जिसकी वसूली अतिशीघ्र की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत किया जाए अन्य मामलों की जाँच अपने सतर पर करके अंशदान की वसूली सुनिश्चित की जाए।

क्र.सं.	**कार्य का नाम**	**राशि**	**20% भाग**
1	C/O Dry check dam in the land of Shri Surender, Rakesh, Des Raj etc. Ward No.3	22000	4400
2	C/O Dry check dam in the land of Shri Hoshiar , parkash, Mastan etc. Ward No.	22000	4400
3	C/O Dry check dam Harnala in the land of Smt. Santosh kumari Ward No.5	8800	1760
4	C/O Dry check dam near the land of Dev Raj, Pritm,TilkRaj Ward No.1	**17600**	3520
5	C/O Dry check dam in the land of Shri Bhagwan Dass, Sudershn Kumar Ward No.1	44000	8800
6	C/O Dry check dam in the land of Shri Sher Singh Ward No.3	35200	7040
7	C/O Dry check dam in the land of Shri Bhagwan Dass ,Dhian Singh Sarai Bheru Nala Ward No.1	35200	7040
8	C/O Dry check dam at Bheru Nala in the land of smt. Kesri Devi, Krishn,Parkash, Pritm and Jaikishn Ward No.2	44000	8800
9	C/O RWHT near the house of Shri Sudershn Kumar	68400	13680
10	C/o Vermicompost Unit of Sh.Anil Kumar Lower Chaplah	7000	1400
11	C/o Vermicompost Unit of Sh. Jarnail Singh Lower Chaplah	7000	1400
12	C/o Vermicompost Unit of Sh. Kaka Ram Upper Chaplah	7000	1400
13	C/o Vermicompost Unit of Sh.Mahinder Singh Kukahr	7000	1400
14	C/o Vermicompost Unit of Smt.Kishni	7000	1400

Devi Devi Kukahar

योग **66440**

14 **मस्टरोल निर्गम (issue) रजिस्टर का रख रखाव न करना तथा न ही मस्टरोल पर प्रस्ताव संख्या तथा दिनांक को दर्शाना :-**

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित मासों में भुगतान किये गये निर्माण कार्यों के मस्ट्रोल की जांच करने पर पाया गया कि इन मस्टरोल को मस्टरोल निर्गम रजिस्टर में दर्ज नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त मस्टरोल पर न तो ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या तथा दिनांक दर्शाई जा रही है। अत: उक्त के अभाव में किये गये भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

वोउचर संख्या	मास	निर्माण कार्य का नाम	मस्टरोल संख्या	राशि
GENERAL CASH BOOK				
44	10/2014	निर्माण पंचायत घर	1140	37140
45	10/2014	मुरम्मत रास्ता मिलाप चन्द के घर से नाई बस्ती	5198	4200
46	10/2014	मुरम्मत रास्ता नजदीक ओम प्रकाश ,कमला देवी का घर वार्ड 3	5197	4200
49	10/2014	मुरम्मत रास्ता कुकाहर वार्ड 4	001587	4500
53	10/2014	निर्माण वचाव दीवार नजदीक अजमेर , अश्वनी, प्रकाश इत्यादि का घर कुकाहर	5199	26916
54	10/2014	निर्माण सार्वजनिक शौचालय नजदीक तिलक राज,राकेश,राजकुमार का घर वार्ड 1	5201	5844
55	10/2014	मुरम्मत नालियां व् रास्ता निचला चप्लाह	0015826	15300
51	2/2017	निर्माण रास्ता दंगा व नाली हंसराज के घर से किशोरीलाल के घर तक	39728	32652
IWMP				
11	10/2014	निर्माण चेक डैम हारनाला संतोष कुमारी की जमीन	5202	2952
12	10/2014	निर्माण चेक डैम भगवानदास ध्यान सिंह जमीन नजदीक सराए	5203	10272
13	10/2014	निर्माण चेक डैम वेडू नाला नजदीक केसरी, किशन,प्रकाश प्रीतम भूमि	5205	8688

15 **14 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत क्रय की गई सोलर लाइट की खरीद में अनियमितताएं:-**

ग्राम पंचायत द्वारा 14 वें वित्त आयोग से M/S H S इंटरप्राइजेज ज्वालामुखी से निम्नानुसार सोलर लाइट बिना निविदाएँ मंगवाए क्रय की गई । सोलर लाइट को भंडार रजिस्टर में भी दर्ज नहीं किया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट कि जाए तथा नियमानुसार क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ की जाए तथा बिना निविदाएँ प्राप्त किए क्रय की गई सामग्री को सक्षम अधिकारी से नियमित करवाया जाए।

वोउचर संख्या	मास	बिल संख्या	दिनांक	संख्या	दर	राशि
45	2/2017	82	8-2-2017	1	20000	20000
46	2/2017	83	8-2-2017	1	20000	20000
47	2/2017	84	8-2-2017	4	20000	80000
48	2/2017	85	8-2-2017	6	20000	120000
49	2/2017	86	8-2-2017	2	20000	40000
					योग	**₹280000**

16 **पंचायत निधि से अनियमित व्यय:-**

ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं स्त्रोत /सभा निधि से निम्नानुसार मदें क्रय करने पर ₹2320 का भुगतान किया गया जो कि निधि पर नियमानुसार अनुचित प्रभार है। अत: राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए।

वोउचर संख्या	मास	मद का नाम	राशि
77	3/2016	Induction cooker	2100
		souce pan	220
		योग	**₹2320**

17 **₹1000 के भुगतान वोउचर अभिलेख में उपलब्ध न होना :--**

रोकड़ वही में दर्ज वाउचर संख्या 76 मास 3/2016 के द्वारा कंप्यूटर मुरम्मत करवाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा ₹1000 का भुगतान किया गया। परन्तु मूल बिल अभिलेख में उप्प्लब्ध न होने के कारण भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सकता है । अत: अनुचित रूप से किये गये भुगतान की वसूली की जाए।

18 **मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से सत्यापन न करवाना:-**

ग्राम पंचायत **द्वारा** निर्माण कार्य मजदूरों से करवाए गये तथा उन्हें मस्टरोल पर भुगतान किया गया परन्तु हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(1) तथा 108 के अनुसार कई मामलों में इन कार्यों के मस्टरोल को सहभागी कमेटी तथा सतर्कता कमेटी से नियमानुसार सत्यापन नहीं करवाया गया अत: उक्त के अभाव में भुगतान का ओचित्य स्पष्ट किया जाए !

19 **रसीद प्राप्त न करना :---**

वाउचर संख्या 42 मास 10/2014 के **द्वारा** ग्राम पंचयत सदस्यों को अवधि 1-7-2014 से 30-9-2014 तक मानदेय का नगद भुगतान किया गया परन्तु भुगतान के समर्थन में उनसे रसीद प्राप्त नहीं की गई जिसे अब प्राप्त करके अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

पंचायत सदस्य का नाम	राशि
श्रीमती चंचला देवी	1200

श्रीमती सोना देवी	1200
	₹2400

20 IWMP अनुदान से खंड विकास अधिकारी कार्यालय को वापिस की गई ₹9249 की रसीदें प्राप्त न करना :---

ग्राम पंचायत **द्वारा** खंड विकास अधिकारी कार्यालय को प्राप्त अनुदान की राशि ₹9249 निम्नानुसार वापिस लौटाई गई परन्तु खंड विकास अधिकारी कार्यालय से इस राशि की रसीद प्राप्त नहीं की गई जिन्हें अब प्राप्त करके अनुपालना से अवगत करें।

चैक संख्या	मास	अनुदान का नाम	राशि
464876	28-2-2017	IWMP	9249

21 विहित रजिस्टरों का रख रखाब न करना :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत **द्वारा** विभिन्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है । अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

क्रम	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
5	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
6	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

अत: इन अभिलेखों का रख रखाव भविष्य हेतु नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

22 प्रत्यक्ष सत्यापन :-

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत **द्वारा** भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

23 लघु आपति विवरणिका:- इसे अलग से जारी नहीं किया गया अपितु छोटी -2 आपतियों का अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया।

24 **निष्कर्ष :-** लेखाओं के रख रखाव में सुधार की आवश्यकता है ।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(2)148/2017 खण्ड–1–1751–1754 दिनांक 9.3.2018 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड प्रागपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत गुडारा चप्लाह, विकास खण्ड प्रागपुर जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881